

(2026/54)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

विनोद कुमार

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट


प्रकरण संख्या :- 99/2026

-:आदेश:-

दिनांक:-

प्रार्थी विनोद सुथार पुत्र कालूराम जाति सुथार निवासी झाक तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम झाक की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 185 में दर्ज अशुद्ध इन्द्राज विनोद कुमार पुत्र कालूराम जाति सुथार निवासी झाक का शुद्ध विवरण विनोद सुथार पुत्र कालूराम जाति सुथार निवासी झाक की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्ध का नामान्तरकरण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(मृदुला शेखावत)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाडा